न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी, जिला– सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री नवरत्न कोली, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
13/19	अपील	30.07.2019	31.03.2022

बाबूलाल उर्फ बना पुत्र बदरी आयु 62 साल जाति माली निवासी मालियों की चौकी तहसील गंगापुर सिटी।

अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी।

प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः–31.03.2022

1. यह अपील अपीलार्थी द्वारा निर्णय तहसीलदार, गंगापुर सिटी उनवानी मुकदमा सरकार बनाम बाबूलाल उर्फ बना, मुकदमा नंबर–214/12 अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2012 के विरूद्ध पेश की गई।
2. प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि पटवारी हल्का अमरगढ ने एक रिपोर्ट प्रार्थी/अपीलार्थी के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गंगापुर सिटी के समक्ष इस आशय प्रस्तुत की कि बाबू उर्फ बना पुत्र बदरी जाती माली निवासी मालियों की चौकी ने खसरा नम्बर 128, 136 रकवा 1.02 हेक्टर भूमि किस्म गैर मुमकिन नाला वाके ग्राम मालियों की चौकी पर संवत 2069 मे अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया हैं। जिस पर अधीनस्थ ने सुनवाई कर प्रार्थी अपीलार्थी को गलत तरह से दोषी मानकर 60 दिवस के सिविल कारावास तथा 439/– रूपयें अर्थ दण्ड से दण्डित किया हैं। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होने से अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है।
3. अपील में अपीलार्थी ने आगे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सामग्री के प्रतिकूल होने के कारण निरस्तनीय है। खसरा नम्बर 128 व 136 के पास ही प्रार्थी अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि स्थित है। जिसकी डोलमेड नही हो रही है। इस कारण सीमाज्ञान के अभाव में अगर प्रार्थी अपीलार्थी से अन्जाने में नाले की भूमि पर अतिक्रमण हो गया होगा। प्रार्थी अपीलार्थी ने जानबूझ कर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नही किया हैं। इस तथ्य पर गौर न कर निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है। हल्का पटवारी ने जो नोटिस दिनांक 14.08.2012 को अधिनस्थ न्यायालय में पेश किया है। वह साइक्लोस्टाईल में छपा हुआ है। तथा उस पर सिर्फ नाम पते हाथ से लिखकर टारगेट पूरा करने के लिये प्रार्थी/अपीलार्थी के विरूद्ध शिकायत की है। इस आधार पर मामला संस्थित कर प्रार्थी/अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित करने में अधिनस्थ न्याययलय ने भारी भूल की

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

है। प्रार्थी/अपीलार्थी ने उक्त भूमि पर से अपना अतिक्रमण हटा लिया है। तथा भविष्य में प्रार्थी या उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति सरकारी भूमि पर भविष्य में अतिक्रमण नही करेगा। इस आशय का शपथ पत्र भी प्रार्थी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिये तैयार है। प्रार्थी को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.08.2012 की कोई जानकारी नही थी दिनांक 23.07.2019 को प्रार्थी अपने घर पर नही था। रिश्तेदारी में गया हुआ था। पुलिस का एक सिपाही गांव में प्रार्थी के बारे मे पूछा तथा कहां कि मैं उसको गिरफ्तार करने के लिये आया हूं। उसके खिलाफ तहसीलदारजी गंगापुर के न्यायालय में वारंट है, शाम को प्रार्थी जब अपने घर आया तो पडौसियो ने उसे सारी बात बतायी जिस पर अगले दिन प्रार्थी तहसील कार्यालय गंगापुर सिटी में दिनांक 24.07.2019 को आया तथा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर जानकारी कर निर्णय की नकल लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवाया। जिस पर दिनांक 26.07.2019 को निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुयी। जिसका पढने से जानकारी हुयी कि दिनांक 29.08.2012 को धारा 91 एल0आर0एक्ट में पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर सजा दी गयी है। जानकारी होने से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। फिर भी कानूनी अडचनो से बचने के लिये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। प्रार्थी पर धारा 91 एल0आर0एक्ट के नोटिस की कोई तामील नही हुयी है। नोटिस की पुश्त पर देखने मात्र से यह सिद्ध है। प्रार्थी के खिलाफ पूर्व में कोई निर्णय धारा 91 एल0आर0एक्ट में पारित नही हुआ है। उसे कभी भौतिक रूप से बेदखल नही किया गया है। ऐसी सूरत में उसे पश्चावर्ती अतिक्रमी मानने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है। अन्य उज्रात वरवक्स बहस मौखिक रूप से निवेदन किये जावेंगे। अपील उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। माननीय न्यायालय को अपील का श्रवणधिकार प्राप्त है।

4. अपील में निवेदन किया गया है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।
5. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेण्ट जरिये नोटिस की गई एवं मिसल अदालत मातहत तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट बावजूद सूचना उपस्थित नहीं।
6. बहस वकील अपीलार्थी सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा है कि अपीलार्थी पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में नहीं आता। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायलय का निर्णय निरस्त फरमाया जावें।
7. हमने अपील एवं मिसल अधीनस्थ न्यायालय का अद्योपान्त सूक्ष्म अवलोकन व मनन किया। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा की गई बहस पर भी पर सूक्ष्म रूप से मनन किया।
8. प्रार्थना पत्र तहत् धारा 5 मियाद अधिनियम को हम न्यायहित में स्वीकार करते है। हमने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का भी समग्र अवलोकन किया। अपीलार्थी की अपील को इस शर्त पर स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं कि वह उस पर आरोपित शास्ति व अन्य सरकारी देयता को राजकोष में नियमानुसार जमा करायेगा तथा इस आश्य का शपथ पत्र तहसीलदार, गंगापुर सिटी को पेश करेगा कि वह भविष्य में कभी किसी सरकारी भूमि या समपत्ति पर अतिक्रमण नही करेंगा। तहसीलदार, गंगापुर सिटी स्वयं मौके पर जाकर यह तस्दीक करेगा कि अपीलार्थी ने प्रश्नगत भूमि से अपना कब्जा हटा लिया है तथा भूमि पूर्णतया अतिक्रमण मुक्त हो चुकी है। इस निर्णय के पारित होने के 30 दिवस के अन्दर अपीलार्थी यदि उक्त शर्तों की पालना करता है तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, गंगापुर सिटी का आदेश सिविल कारावास की हद तक अपास्त माना जावें अन्यथा कथित आदेश अपीलार्थी के विरूद्ध स्वतः जीवित रहेगा।

न्यायालय तहसीलदार, गंगापुर सिटी का आदेश सिविल कारावास की हद तक अपास्त माना जावें अन्यथा कथित आदेश अपीलार्थी के विरूद्ध स्वतः जीवित रहेगा।

आदेश

अतः अपीलार्थी की अपील को इस शर्त पर स्वीकार किया जाता है कि वह उस पर आरोपित शास्ति व अन्य सरकारी देयता को राजकोष में नियमानुसार जमा करायेगा तथा इस आशय का शपथ पत्र तहसीलदार, गंगापुर सिटी को पेश करेगा कि वह भविष्य में कभी किसी सरकारी भूमि/सम्पत्ति पर अतिक्रमण नहीं करेगा। तहसीलदार गंगापुर सिटी स्वयं मौके पर जाकर यह तस्दीक करेगा कि अपीलार्थी ने प्रश्नगत भूमि में अपना कब्जा हटा लिया है तथा भूमि पूर्णतया अतिक्रमण मुक्त हो चुकी है। इस निर्णय को पारित होने के 30 दिवस के अन्दर अपीलार्थी यदि उक्त शर्तों की पालना करता है तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, गंगापुर सिटी का आदेश सिविल कारावास की हद तक अपास्त माना जावें अन्यथा कथित आदेश अपीलार्थी के विरूद्ध स्वतः जीवित रहेगा।

निर्णय की एक प्रति एवं मूल मिसल अदालत मातहत संबंधित न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें।

यह आदेश आज दिनांक 31.03.22 को सरे इजलास सुनाया।

31.3.22

(नवरत्न कोली)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)